न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 41/2014

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 सोहनराम पुत्र मेहराम (फौत) के कायम मुकाम 1/1 मैना पत्नी सोहनराम 1/2 मांगीदेवी उर्फ शारदा पुत्री सोहनराम 1/3 संतोष पुत्री सोहनराम 1/4 संजू पुत्री सोहनराम जातियान जाट निवासीगण लालाप तहसील मुण्डवा जिला नागौर। 2 हडमानराम पुत्र सोहनराम जाट निवासीगण लालाप तहसील मुण्डवा जिला नागौर		1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मुण्डवा जिला नागौर। 2 घेवरी पुत्री चन्दाराम के कायम मुकाम 2/1 सोनाराम पुत्र घेवरी बावरी निवासी खेडापा। 2/2 कोजाराम पुत्र घेवरी जाति बावरी निवासी खेडापा 2/3 बहादुरराम पुत्र घेवरी जाति बावरी निवासी खेडापा 3 दिनेश पुत्र सांवताराम 4 मंजू पुत्री सांवताराम 5 राजल पुत्री सांवताराम 6 चुकादवी पत्नी सांवताराम जातियान जाट निवासीगण लालाप तहसील मुण्डवा जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री धर्माराम खुडखुडिया अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।
3. श्री रामप्रसाद खुडखुडिया अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 12.05.2025

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार मुण्डवा द्वारा मौजा लालाप के प्रकरण संख्या (06/2013) 04/2013 में पारित निर्णय दिनांक 14.07.14 से असंतुष्ट होकर दिनांक 22.07.14 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स की अपील दिनांक 30.07.14 दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 की ओर से श्री रामप्रसाद खुडखुडिया अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 2/3, 3 तथा 06 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार नागौर के प्रकरण संख्या 6/13 के फर्दअहकाम की फोटोप्रति, तहसीलदार मुण्डवा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, तहसीलदार मुण्डवा के निर्णय दिनांक 14.07.14 की फोटोप्रति, सोहनराम के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने बहस शुरू करते हुए तर्क दिया कि

{2}(I)–खसरा नम्बर 430 का सम्पूर्ण रकबा संवत 2010–11 से पूर्व से ही अपीलांट संख्या 1 के पिता मेहराम पुत्र भेराराम के कब्जे काश्त व खातेदारी का खेत रहा है। जागीर रिज्यमूशन से पूर्व ही इस खेत पर मेहराम पुत्र भूरारम का ही कब्जा काश्त था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय एन्यूएल रजिस्टर में खातेदार मेहराम पुत्र भूराराम का नाम दर्ज था उसके पश्चात इस खेत पर रेस्पोडेंट संख्या 2 के पिता चन्दाराम को बिना किसी कब्जे काश्त के गैर कानूनी रूप से ट्रेसपासर व खातेदार दर्ज कर दिया व राजस्व रेकर्ड में त्रुटिपूर्वक हुए इन्द्राज के आधार पर चन्दाराम की पत्नी व तत्पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 2 का नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदार के रूप में दर्ज हो गया। राजस्व रेकर्ड में मेहराम पुत्र भूराराम की खातेदारी इन्द्राज सही हुआ है व तत्पश्चात राजस्व रेकर्ड में त्रुटि होने से व उपरोक्त तमाम तथ्यों के होते हुए भी लालचवश अप्रार्थी संख्या 2 ने मिथ्या आधारों पर धारा 183 बी का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसको सरसरी तौर पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये, न्यायिक सिद्वान्तों के विपरीत व अपीलांट्स से प्रज्यूडिश होकर त्रुटिपूर्वक आदेश दया जाकर आवेदन स्वीकार कर अपीलांट्स को व अन्य काबिज को बेदखल करने की आज्ञा दी जाने में विधिक त्रुटि की है जिससे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है व रेस्पोडेंट संख्या 3 से 6 द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद जो पूर्ववर्ती वाद है, के साथ आवेदन को समेकिकरण कर दोनों दावों का विधिनुसार निस्तारण किये जाने के निर्देश के साथ अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विधिनुसार पुनः निस्तारण की आज्ञा दी जाना न्याय संगत है।

अपर कलक्टर, नागौर

(2)(II)–प्रकरण में अपीलांट के विरूद्ध अनुचित रूप से व मनमर्जी से पूर्व तारीखो पर आगामी तारीख पेश बताये बिना ही आवेदन के तुरन्त निस्तारण के लिए एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाने में त्रुटि की है व तत्पश्चात आदेश 9 नियम 7 सीपीसी के आवेदन को पत्रावली पर लिया जाकर एकपक्षीय आदेश को अपास्त नही करने व अपीलांट की साक्ष्य सबूत नहीं लिये जाने व राजस्व रेकर्ड की व सवंत 2011 व 2014 व आगामी त्रुटिपूर्वक रेकॉर्ड की अनदेखी की गयी है साथ ही रेस्पोडेंट संख्या 3 से 6 के पक्षकार जोडे जाने के आवेदन को निरस्त करने एवं साथ साथ पूर्ववर्ति वाद विचाराधीन होते हुए भी धारा 10 दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आदेश पारित किया है जिससे आदेश व डिक्री जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

(2)(III)– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 2008(1) आर.आर.टी. पेज 683 में हाई कोर्ट के निर्णय छेलसिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में प्रतिपादित सिद्वांत जिसके अनुसार लम्बे समय से राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज होते हुए भी धारा 183 ख के अधिकारों का उपयोग किया जाना व आवेदन के विचाराधीन रहते समय अन्य न्यायालय में वाद पेश किया जाने पर उसकी मान्यता नहीं होने का निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। प्रथम तो रेस्पोडेंट संख्या 3 से 6 का दावा पूर्ववर्ती है? जो धारा 183बी, के आवेदन के पेश करने के बाद में किया हुआ न होकर पहले से पेश किया हुवा विचाराधीन है तथा धारा 183 वी में अपीलांट्स व रेस्पेडेंट्स के बचाव व हक खातेदारी की घोषणा संबंधी वाद का उल्लेख करते हुए प्रतिरक्षा करने हेतु तथ्य दर्ज किये थे। पूर्ववर्ती वाद के विचारधीन रहते यदि धारा 183बी पेश किया जाता है ऐसी स्थिति में धारा 183 बी को जरिये आवेदन के स्थगित किया जाकर पूर्ववर्ती वाद से संबंधित न्यायालय में दोनों का साथ साथ निर्णय करने हेतु भेजे जाने व आवेदन धारा 10 के तहत स्थगित किये जाने के विधिक सिद्वांत को न्यायालय द्वारा नजरअन्दाज किया गया है तथा रेस्पोडेंट संख्या 4 से 6 का पेश किया गया वाद धारा 183 बी के आवेदन से पहले का पेश किया हुआ है जिसके बारे में निर्णय में मिथ्या तथ्य अदालत मातहत द्वारा दर्ज किया गया है। वाद रेस्पोडैंटान का दिनांक 10.05.13 का पेश कर दिया गया था, जबकि रेस्पोडेंट संख्या 2 का आवेदन तहसीलदार नागौर के समक्ष दिनांक 10.05.13 के बाद पेश किया गया है ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा वर्णित उपरोक्त नजीर इस प्रकरण में कतेई लागू नहीं होती है फिर भी न्यायालय द्वारा उसके आधार पर निर्णय करने में कानूनी त्रुटि की है।

(2)(IV)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलांट द्वारा जो लिखित में उतर प्रस्तुत किया गया है एवं जो रेस्पोडेंट संख्या 4 से 6 द्वारा वाद व अन्य प्रमाणित प्रतिलिपियां व संवत 2011 से बाद की खतौनीयां तथा संवत 2006 की मिसल बन्दोबस्त, मिलान क्षेत्रफल व गिरदावरीयों इत्यादि की प्रमाणित प्रतियां पेश की है जिसमें संवत 2009 से लगातार कब्जा काश्त मेहराम पुत्र भूराराम का राजस्व रकर्ड अनुसार होते हुए भी व संवत 2019 से 2022 की खतौनीयों में भी मेहराम पुत्र भूराराम की खातेदारी दर्ज होने के जो राजस्व रेकर्ड के इन्द्राज है, उनके साथ सत्य होने का जो उपधारणा का सिद्वांत है, के बाबत विचार नहीं करते हुए केवल वर्तमान त्रुटिपूर्वक इन्द्राज पर विश्वास करने में त्रुटि की है व इसी आधार पर विना पद्वाकारों की साक्ष्य लिये, बिना पक्षकारों से प्रतिपरीक्षण का अवसर दिये व विधिक प्रक्रया अपनाये विना ही मनमर्जी से पूर्वग्रह रखते हुए आदेश बेदखली पारित करने में विधिक त्रुटि की है।

(2)(V)– आदेश जैर अपील अनुचित, विधि से विपरीत, न्यायिक सिद्वांतों से विपरीत व नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतों से विपरीत व अनुचित होने से निरस्त करने योग्य है।

(2)(VI)–पूर्ववर्ती वाद में हक खातेदारी के विवाद के निस्तारण हेतु विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय को धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के वाद का क्षेत्राधिकार नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 2 के आवेदन की प्रतिरक्षा में न्यायालय को रेस्पोडैंट की खातेदारी अधिकार होने की घोषणा का क्षेत्राधिकार नहीं है ऐसी स्थिति में जो बचाव धारा 183 बी में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 को उपलब्ध होना चाहिए व किया जाना चाहिए उसका क्षेत्राधिकार तहसीलदार को प्राप्त नहीं है जो मात्र सहायक कलक्टर को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में सरसरी आवेदन की कार्यवाही जो आवेदन बाद में पेश हुआ है, को रोका जाकर अथवा निर्णय हेतु संबंधित न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना ही सुगम न्याय का रास्ता होते हुए भी ऐसा नहीं करने मे त्रुटि की है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2015(1) पेज 665 से 671, आरवीजे (5) 1998 पेज 195 से 199, आरआरडी 1994 पेज 457 से 458, आरआरडी 1995 पेज 515 पेज 517, आरआरटी 2011(1) पेज 673 से 676 तक, डीएनजे राज 2011(2) पेज 543 से 545 तक, आरआरडी 1983 पेज 563 से 567 तक, एससी पेज 3070 से 3078, आरआरटी 2008(1) पेज 28 से 30 तक, Latest Revised List of Scheduled Castes and Scheduled Tribes part 15- Rajasthan Page 01 नजीरे पेश की।

अपर कलक्टर, नागौर

{3}– रेस्पोडेंट संख्या 01 राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस मे हिस्सा लेते हुए बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 2 के कायम मुकाम अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। स्वर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा किये गये कब्जा को हटाये जाने के प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिअनुसार कार्यवाही की है। अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को पर्याप्त रूप से सुनवाई का अवसर दिया जाना अभिलेख से साबित है। प्रस्तुत मामले में आराजी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेन्ट सं. 2 के नाम होना रिकार्ड से साबित है तथा रेस्पोडेन्ट नं. 2 अनुसूचित जाति की महिला थी इस बिन्दु को लेकर भी कोई विवाद नहीं है। धारा 183बी के तहत समरी ट्रायल की कार्यवाही होती है। जहां 183बी की कार्यवाही दायर करने के लिये प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति वादग्रस्त भूमि का खातेदार होना व अनुसूचित जाति की खातेदारी में होना जरूरी होता है। ऐसी भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने के प्रावधान है। इस प्रकरण में यह बखूबी साबित है कि निर्विवाद रूप से रेस्पोडेन्ट सं. 2 के कायम मुकाम अनुसूचित जाति के व्यक्ति है, जिनकी रिकार्डेड खातेदारी भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति काबिज है। जिन्हें आराजी भूमि से बेदखल किये जाने को लेकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है, जो विधि सम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}–उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हाने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}–निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर